

दिनांक 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रशुल्क का प्रभाव

1864. श्री के. सुधाकरनः
सुश्री सयानी घोषः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अमेरिका को किए जाने वाले कुल निर्यात के हिस्से का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने फरवरी, 2025 के दौरान विशेषकर रसायन, धातु उत्पाद, आभूषण, ऑटोमोबाइल, भेषज और कृषि खाद्य उत्पाद जैसे क्षेत्रों के संबंध में भारतीय निर्यात पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा लगाए गए पारस्परिक प्रशुल्क के प्रभाव का आकलन/अनुमान लगाया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार का यह विचार है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक प्रशुल्क से उपर्युक्त क्षेत्रों में भारत के समग्र निर्यात की मात्रा और राजस्व में कमी आएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए उठाए गए कदम का ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर कोई आपत्ति व्यक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (छ) प्रतिकूल समस्याओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा विचार किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (ज) क्या सरकार अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत के निर्यात बाजारों में विविधता लाने पर काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): वर्ष 2023-24 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को किए जाने वाले क्षेत्रवार निर्यातों का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

(ख) से (छ): अमेरिका ने दिनांक 13 फरवरी, 2025 को पारस्परिक व्यापार और प्रशुल्क पर जापन जारी किया है, जिसमें वाणिज्य सचिव और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि को व्यापारिक साझेदारों द्वारा अपनाई गई किसी भी गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्था से अमेरिका को होने वाले नुकसान की जांच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी है और प्रत्येक व्यापारिक साझेदार के लिए विस्तृत प्रस्तावित उपायों के साथ एक रिपोर्ट प्रदान करनी है, जिसके आधार पर, संबंधित व्यापारिक साझेदार के विरुद्ध अमेरिका की कार्रवाई, उसके बाद किसी भी प्रासंगिक अमेरिकी कानून के तहत की जा सकती है। वर्तमान तिथि तक, भारत पर अमेरिका द्वारा पारस्परिक प्रशुल्क लागू नहीं किए गए हैं।

भारत सरकार द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से संवर्धित करने और व्यापक बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ मिलकर निरंतर कार्य कर रही है। दोनों देशों ने दिनांक 13 फरवरी, 2025 को एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। महत्वाकांक्षी "मिशन 500" के तहत, दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अमेरिका-भारत व्यापार को दोगुना करके 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है, जिसे कई क्षेत्रों में व्यापार संबंधों को मजबूत करके हासिल किया जा सकता है। दोनों देशों की पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार करार पर बातचीत करने की योजना है। दोनों देश बाजार पहुंच बढ़ाने, प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क संबंधी बाधाओं को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

(ज) यह एक सतत प्रक्रिया है तथा भारतीय निर्यातक व्यापार बास्केट और निर्यात गंतव्य के विविधीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं।

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1864 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

| क्र.सं. | वस्तु | वर्ष 2023-24 में भारत का यूएसए को निर्यात | वर्ष 2023-24 में भारत के निर्यात में यूएसए की हिस्सेदारी (%) |
|---------|---|---|--|
| 1 | कालीन | 824.71 | 59.11 |
| 2 | काजू | 8.06 | 2.38 |
| 3 | सिरेमिक उत्पाद और ग्लासवेयर | 625.11 | 14.61 |
| 4 | अनाज सामग्रियाँ और विविध प्रसंस्कृत वस्तुएँ | 442.72 | 15.52 |
| 5 | काँफी | 64.68 | 5.03 |
| 6 | कॉटन यार्न/फैब्स./मेडअप्स, हैंडलूम उत्पाद इत्यादि | 2980.86 | 25.51 |
| 7 | ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स | 8731.44 | 31.35 |
| 8 | इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं | 10047.76 | 34.50 |
| 9 | इंजीनियरिंग वस्तुएं | 17624.33 | 16.12 |
| 10 | फल और सब्जियाँ | 299.19 | 8.17 |
| 11 | रत्न और आभूषण | 9907.23 | 30.29 |
| 12 | हस्तशिल्प कालीन को छोड़कर हस्तशिल्प | 711.96 | 39.50 |
| 13 | लौह अयस्क | 0.01 | 0.00 |
| 14 | जूट निर्माण, फर्श कवरिंग सहित | 78.84 | 23.27 |
| 15 | चमड़ा और चमड़ा विनिर्माण | 835.52 | 19.51 |
| 16 | मानव निर्मित यार्न/फैब्स./मेडअप्स इत्यादि | 706.95 | 15.11 |
| 17 | समुद्री उत्पाद | 2499.02 | 33.90 |
| 18 | मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद | 180.27 | 3.98 |
| 19 | अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रक्रिया सहित खनिज | 472.86 | 10.10 |

| | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 20 | ऑयल मील्लस | 17.65 | 1.03 |
| 21 | ऑयल सीड्स | 58.83 | 4.09 |
| 22 | कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन | 3895.23 | 13.26 |
| 23 | अन्य अनाज | 4.50 | 0.87 |
| 24 | अन्य | 3240.85 | 13.38 |
| 25 | पेट्रोलियम उत्पाद | 5830.05 | 6.93 |
| 26 | प्लास्टिक और लिनोलियम | 1668.88 | 20.62 |
| 27 | चावल | 350.14 | 3.36 |
| 28 | सभी वस्त्रों का आरएमजी | 4719.04 | 32.47 |
| 29 | मसाले | 572.46 | 13.47 |
| 30 | चाय | 77.62 | 9.40 |
| 31 | तंबाकू | 46.32 | 3.20 |
| | कुल | 77523.12 | 17.74 |

स्रोत: डीजीसीआईएस